क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
01.10.2021	पत्रावली वास्ते आदेश अन्तरिम स्थगन पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी का तर्क रहा है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 367, 613/434, 365, 366, 368, 371 वाके ग्राम विर्रूआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर का प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं 3/4 हिस्से पर अप्रार्थीगण तरतीवी संख्या 02, 03, 04 खातेदार काश्तकार हैं। अपीलार्थी मृतक हीरा सिंह का दत्तक पुत्र है। अप्रार्थी संख्या 01 असल का उपरोक्त आराजी के किसी भी हिस्से से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उन्होनें अपीलाण्ट को बिना पक्षकार मुकदमा बनाये अपीलाधीन आदेश पारित करा लिया। वर्तमान में, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड में अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहती है। अपीलार्थी मृतक हीरा सिंह का दत्तक पुत्र है। अतः वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गयी तो अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखने का निवेदन किया। हमने गौर किया। हस्तगत पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड गोदनामा एवं अन्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट हीरा सिंह का दत्तक पुत्र है। जिसे रैस्पो0 ने प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में होने से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षित था कि उनके समक्ष लम्बित अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार 30 दिवस की अवधि में करते परन्तु उनके द्वारा लम्बित प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं किया जाकर तारीख पेशीयॉ निर्धारित की जा रही हैं जिसे न्याय की दृष्टि से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को अंतिम रूप से आज दिनांक तक भी निस्तारित नहीं किया जाकर सिर्फ तारीख पेशियॉ नियत की जा रही है जबकि विधिक प्रावधानो के अनुसार एक पक्षीय पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को एक माह में अंतिम रूप से निस्तारित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये हम अपीलाण्ट को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाते हुये, अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पातें हैं। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में आगामी पेशी, अधिकतम एक–एक सप्ताह से अधिक की नहीं दी जावें एवं उभयपक्ष व अपीलाण्ट को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देते हुये अधिकतम एक माह में प्रकरण का निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। निर्णय सुनाया गया। 01.10.2021 (अखिलेश कुमार पिपल) कार्य0 भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी	